M. Com. IInd Semester

Subject - Insurance (बीमा)

Paper - IV (C)

Lecture By :

Dr. Rajesh Kesari
Associate Professor
(Ex. HOD & Dean)
Commerce faculty
Nehru Gram Bharati
(Deemed to be)
University, Prayagraj.

अध्याय 3

जीवन बीमा का परिचय

आधुनिक बीमा-जगत में जीवन बीमा का सर्वोच्च स्थान है। इसकी व्यापकता, विस्तार और महत्व का मूल रहस्य यह है कि इसका मानव-जीवन से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ सम्बन्ध है और सुरक्षा साधन के रूप में यह बड़ा आवश्यक, उपयोगी और हितकर सिद्ध हुआ है।

जीवन बीमा की आवश्यकता

जीवन बीमा जीवन से सम्बन्धित जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक उत्तम व्यवस्था है। मनुष्य के अनेकानेक पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्वाह करने के लिए समुचित धनराशि चाहिए। इसलिए मनुष्य यत्न और उद्यम करता है, कमाता है, तथा अपनी आय से परिवार के भरण-पोषण और सुख-सुविधा का प्रयत्न करता है। उसे आज के लिए ही नहीं वरन् कल के लिए भी, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, समुचित व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए वह अनेक ढंगों से धन बचाता है। उसका जीवन आश्रितों के लिए सचमुच बड़ा मूल्यवान् है। यदि वह पर्याप्त समय तक जीवित रहे और यदि उसकी आयोपार्जन-शक्ति कायम रहे तब स्वयं ही अपने आश्रितों की सुरक्षा का सहारा सिद्ध हो सकता है। लेकिन वह कब तक जीवित रहेगा, उसकी आयोपार्जन-शक्ति कब तक कायम रहेगी, कौन जानता है? जीवन नश्वर है, मरण-बेला अनिश्चित है। पता नहीं, उसकी यह लीला किस क्षण समाप्त हो जाय और इस प्रकार आय भी स्वाहा हो जाय। तब आश्रितों का सहारा क्या होगा? यदि वह दीर्घजीवी हो तब भी दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर या वृद्धावस्था में आयोपार्जन-शक्ति क्षीण या समाप्त हो सकती है। यही जीवन सम्बन्धी जोखिम है, और इन्हीं जोखिमों के प्रति जीवन बीमा की आवश्यकता होती है।

जीवन बीमा का प्रधान कार्य है मृत्यु, वृद्धावस्था, या असमर्थता द्वारा उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करना। जीवन बीमा यह सुरक्षा अनेक प्रकार से प्रदान करता है, जिसका वर्णन हम अभी करेंगे। किन्तु सुरक्षा के साथ-साथ जीवन बीमा एक जायदाद भी है। इस बीमा द्वारा धन संचय होता है। इस प्रकार,

जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व हैं जबकि अन्य बीमों में केवल सुरक्षा का तत्व ही रहता है। यह जीवन बीमा की विशिष्टता है।

जीवन बीमा का महत्व

जीवन बीमा का महत्व[1] समझने के लिए हमें इसके इन विभिन्न रूपों पर ध्यान देना चाहिए : (क) सुरक्षा साधन के रूप में, (ख) विनियोग के रूप में, (ग) विनियोजक संस्था के रूप में, तथा (घ) अन्य रूपों में।

(क) सुरक्षा-साधन के रूप में

(1) **पारिवारिक सुरक्षा** (Family Protection)—जीवन बीमा मृत्योपरान्त पारिवारिक सुरक्षा का अनुपम साधन है। परिवार का कर्ता-धर्ता अपने जीवन का बीमा कराकर यह प्रबन्ध कर लेता है कि उसकी अचानक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को एक निश्चित धनराशि या नियमित आय मिल जाय। बीमादार चाहे तो यह व्यवस्था भी कर सकता है कि उसकी मृत्यु होने पर बीमित राशि आश्रितों को एकमुश्त न दी जाय वरन् एक निश्चित अवधि तक किस्तों में अदा की जाय ताकि पूरी बीमित रकम अनाप-शनाप तरीकों से खर्च न हो जाय। अतः जीवन-बीमा पारिवारिक सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था है। परिवार के भविष्य के लिए चिन्तित बीमादार को जीवन बीमा निश्चिन्तता देता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसके न रहने पर भी परिवार के लोग असहाय या पराश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें आर्थिक संकट से सुरक्षा मिल जायेगी। जीवन-बीमा एक निश्चित मूल्य की सम्पदा है जो बीमा कराते ही उत्तराधिकारियों के लिए निर्मित हो जाती है।

(2) **सन्तान की शिक्षा, विवाह आदि की व्यवस्था**—बच्चों की उच्च शिक्षा या कन्या के विवाह का जब समय आता है तब रुपयों की समस्या खड़ी होती है। चालू आय में से इसके लिए व्यवस्था कर सकना सबके लिए सहज या सरल नहीं हो सकता। पहले से ही बचत द्वारा इसके लिए प्रबन्ध करना होता है। किन्तु यदि परिवार के कर्ता-धर्ता की अल्पायु में मृत्यु हो जाय तब ऐसी बचत से काम नहीं चल सकता। इसलिए सन्तान की शिक्षा, विवाह, आदि की व्यवस्था के लिए जीवन बीमा बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके लिए विशेष प्रकार का जीवन बीमा कराया जा सकता है जिसमें निश्चित समय आने पर कम्पनी शिक्षा के लिए किस्तों में और विवाह के लिए एकमुश्त रकम दे देती है। यदि इस बीच बीमादार की मृत्यु हो जाय तब प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इस प्रकार मृत्यु का जोखिम संवृत्त हो जाता है, सन्तान का भविष्य सुरक्षित हो जाता है और उनके लिए एक निश्चित धनराशि संचित हो जाती है।

---

1 इस सम्बन्ध में वर्णित सभी विषय-सामग्री 'जीवन बीमा की उपयोगिता' या 'जीवन बीमा के लाभ' या 'जीवन बीमा के विभिन्न उद्देश्य' भी कही जा सकती है।

(3) **वृद्धावस्था की व्यवस्था**—दीर्घजीवी होने पर आर्थिक संकट उपस्थित हो सकता है। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने अपनी कमाई से इतना धन संचित किया हो जिससे बुढ़ापा सुख-सुविधा से कट सके। वृद्धावस्था में मनुष्य कार्य-निवृत्त होकर शान्ति और सुख से रहना चाहता है। यह थकान की उम्र होती है। इस उम्र में सामान्यतया आयोपार्जन शक्ति समाप्त प्राय होती है। इसके साथ ही, दीर्घजीवी होने पर अस्वस्थता का जोखिम रहता ही है क्योंकि इन्द्रियाँ धीरे-धीरे शिथिल होती जाती हैं और रोग-व्याधि से संघर्ष करने की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। यदि ऐसे समय आय का कोई साधन न हो तब उसे औरों के सहारे रहना होगा, जो बुढ़ापे की अत्यन्त दयनीय स्थिति होती है। इसलिए वृद्धावस्था के लिए नियमित आय की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। इसके निमित्त जीवन बीमा बड़ा उपयोगी और व्यावहारिक सिद्ध हुआ है। जीवन बीमा बुढ़ापे की लकड़ी है। इसके द्वारा नियमित आय की व्यवस्था करके निश्चिन्त रहा जा सकता है।

(4) **व्यावसायिक सुरक्षा**—व्यावसायिक कार्य-कलाप में केवल संपत्ति-बीमा या दायित्व बीमा की विभिन्न प्रणालियों का ही महत्व नहीं है वरन् जीवन-बीमा भी उपयोगी पाया गया है। जीवन-बीमा अनेक प्रकार से व्यावसायिक सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है। व्यावसायिक सुरक्षा की व्यवस्था जीवन-बीमा द्वारा अनेक प्रकार से की जाती है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्टतया देख सकते हैं :

(क) एक महाजन अपने ऋणी का जीवन-बीमा करवाकर ऋण की रकम सुरक्षित कर सकता है।

(ख) कोई व्यावसायिक संस्था अपने महत्वपूर्ण कर्मचारी (Key Employee) का जीवन बीमा करवाकर उसकी मृत्यु होने पर एक निश्चित रकम प्राप्त करती है और इससे काफी हद तक उस आर्थिक हानि की पूर्ति हो सकती है जो ऐसे अनुभवी, गुणी और योग्य कर्मचारी की मृत्यु के कारण पहुँचती है।

(ग) साझेदारी फर्म में अनेक साझेदारों की पूँजी लगी रहती है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाय तब उसकी पूँजी वापस करने की दशा उत्पन्न होने से व्यापार में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। किन्तु यदि साझेदारों का संयुक्त जीवन-बीमा करा लिया गया हो तब किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी पूँजी वापस करने के लिए एक निश्चित रकम कम्पनी से मिल जाती है, और इस प्रकार व्यवसाय में अस्थिरता या आर्थिक संकट नहीं आने पाता।

(घ) जीवन-बीमापत्र के आधार पर ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यवसायी अपने जीवन-बीमापत्र की जमानत पर व्यावसायिक ऋण प्राप्त कर सकता है।

(5) **सम्पदा-कर की व्यवस्था**—सम्पदा-कर (Estate Duty) मृतक की चल-अचल सम्पत्ति पर उत्तराधिकारियों में बँटने के पहले ही वसूल किया जाता है।

धनिक वर्ग की सम्पत्ति भी अपार होती है इसलिए इस कर की रकम बहुत बड़ी हो सकती है और इसे अदा करने के लिए बहुधा सम्पत्ति को बेचने का संकट उपस्थित हो सकता है। इस संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन-बीमा बड़ा महत्व-पूर्ण है। सम्पत्ति का स्वामी एक निश्चित रकम का बीमा करा सकता है जिससे उसकी मृत्यु होने पर बीमित राशि से सम्पदा कर चुकाया जा सके। धनिक-वर्ग के लोगों के लिए यह बीमा आर्थिक सुरक्षा का सुन्दर साधन है।

जीवन बीमा बनाम धन-संचय—सुरक्षा की व्यवस्था के लिए यदि धन संचित किया जाय तब जीवन बीमा से लाभ क्या है? यह बात जीवन-बीमा का महत्त्व न जानने वाले प्रायः ही पूछते हैं। उनका मुख्य तर्क यह होता है कि पारिवारिक सुरक्षा, सन्तान के भविष्य और वृद्धावस्था की आर्थिक व्यवस्था तो बचत की योजना द्वारा भी की जा सकती है इसलिए जीवन बीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तर्क में बीमा की वास्तविक प्रकृति की जानकारी का स्पष्ट अभाव प्रकट होता है। इस प्रसंग में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है :

(1) जो लोग यह कहते हैं कि साधारण बचत की योजना द्वारा भी पारिवारिक सुरक्षा, सन्तान के भविष्य आदि के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है वे वास्तव में इस तथ्य को भूल जाते हैं कि यह अज्ञात है कि कोई कब काल-कवलित हो जायगा। भावी आवश्यकताओं के लिए बचत करके, बैंक में जमा करके, धन की व्यवस्था की जा सकती है, और यदि सम्भव हो तो अवश्य की जानी चाहिए। लेकिन पर्याप्त धनराशि बचाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए और साथ ही इसके लिए दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए क्योंकि आराम और विलासिता की आवश्यकताओं पर व्यय करने के प्रलोभन से बचना मुश्किल होता है। किन्तु जब जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है तब क्या कोई कह सकता है कि बचत करके भविष्य में वह कितनी रकम संचित कर लेगा? उसे क्या पता कि कब उसकी मृत्यु हो जायगी। लेकिन यदि जीवन-बीमा करा लिया गया हो तब यह निश्चित हो जाता है कि निश्चित अवधि पूरी होने पर या इस बीच कभी भी मृत्यु होने पर बीमा संस्था से एक निश्चित धनराशि उपलब्ध हो जायगी। अन्य प्रकार से धन संचित करने की जितनी भी रीतियाँ हैं उनमें कोई भी रीति ऐसी नहीं है जिसमें जीवन-बीमा में ऊपर बतायी गयी निश्चितता उपलब्ध हो सके। यह ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा के लिए निश्चितता और निश्चिन्तता अनिवार्य है, और यह जितनी बीमा द्वारा मिलती है उतनी अन्य विधि से सुलभ नहीं है।

(2) बचत योजना द्वारा धन-संचय की एक सीमा यह भी है कि सभी व्यक्तियों में इतनी इच्छा-शक्ति नहीं होती कि वे नियमित रूप से बचत की धनराशि संचित करते रहें। लम्बे समय तक ऐसी बचत-योजना चलाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। फिर बचत द्वारा संचित धन आसानी से खर्च भी कर दिया जाता है, और यह भी देखा गया है कि यह व्यय बहुत आवश्यक प्रयोजन के लिए नहीं होता।

किन्तु जीवन-बीमा करा लेने पर नियमित रूप से प्रीमियम की किस्तें जमा करनी होती है और इस प्रकार से जमा करने की आदत बन जाती है। जीवन बीमा अनिवार्य बचत का सुन्दर साधन है।

(3) इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है उस पर एक निश्चित सीमा तक आय-कर से छूट मिलती है, और बीमित रकम पर भी सम्पदा-कर से छूट मिलती है। यह छूट जीवन बीमा को धन-संचय के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाती है। इन विभिन्न कारणों से जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था माना जाता है।

(ख) विनियोग के रूप में

जीवन बीमा की यह विशेषता है कि इसमें सुरक्षा का तत्व भी है और विनियोग (Investment) का तत्व भी। अन्य सभी बीमों में केवल सुरक्षा का तत्व है। यदि बीमादार को बीमा अवधि में कोई हानि न पहुँचे तब उसको बीमा कम्पनी से कोई रकम नहीं मिल सकती। किन्तु जीवन बीमा में कभी न कभी बीमित राशि का भुगतान अवश्य ही होगा। इस प्रकार कम्पनी को दिये गए प्रीमियमों द्वारा सुरक्षा की भी व्यवस्था होती है और विनियोग भी होता है। जीवन बीमा के प्रीमियम में बीमा की लागत के, अतिरिक्त विनियोग की रकम भी सम्मिलित रहती है और इस विनियोग सम्बन्धी भाग की निधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ऐसी निधि वस्तुतः जीवन-बीमा के विनियोग-तत्व को प्रदर्शित करती है।

इसे समझने के लिए हमको जीवन बीमा की इस विशेषता को ध्यान में रखना होगा कि यह बीमा एक दीर्घकालीन संविदा है। इसके अन्तर्गत दस, बीस, पचास वर्ष या आजीवन अवधि तक की संविदा होती है, और सामान्यतया प्रत्येक बीमापत्र पर कभी न कभी भुगतान होता ही है। इस दीर्घकालिक अवधि के लिए मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक किस्तों में समान दर से प्रीमियम जमा किया जाता है। प्रारम्भिक अनेक वर्षों तक इस प्रीमियम की रकम बीमा की वास्तविक लागत से अधिक होती है। इस अधिक रकम की एक निधि निर्मित हो जाती है, जिसे बीमा-संस्था विनियोजित करके उत्तरोत्तर बढ़ाती रहती है। यही निधि, जिसे जीवन निधि (Life Fund) कहते हैं, जीवन बीमा के विनियोग तत्व का आधार मानी जाती है। बीमादार अपनी बचत का विनियोग प्रायः सुचारु ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि विनियोग करना एक विशिष्ट अनुभव, सूझबूझ और दक्षता का कार्य है, जो सब लोग नहीं कर सकते। जीवन बीमा कराने वाले को बीमा संस्था के माध्यम से अपनी बचतों को उत्तम विनियोग-नीति द्वारा उचित प्रकार से विनियोजित करने की सुविधा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।

विनियोग के रूप में जीवन बीमा एक उत्तम कोटि की जोखिम-रहित प्रतिभूति है। इसकी जमानत पर ऋण लिया जा सकता है। इस सम्पत्ति को अन्तरित भी किया जा सकता है। हमारे देश में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हो चुका है

और जीवन बीमापत्र की रकम के प्रति सरकार की गारण्टी है। साथ ही, जीवन बीमा के लिए दिये गये प्रीमियमों पर एक निश्चित सीमा तक आय-कर से छूट भी मिल जाती है। इन सभी दृष्टिकोणों से जीवन बीमा बहुत आकर्षक और सुरक्षित विनियोग माना जाता है।

(ग) विनियोजक संस्था के रूप में

जीवन बीमा संस्थाएँ विशाल विनियोजक संस्थाएँ भी हैं। जीवन बीमा के व्यवसाय से ये संस्थाएँ प्रीमियम के रूप में करोड़ों बीमाधारियों की बचतों को एकत्र करती हैं और उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों में विनियोजित करती हैं। इस प्रकार जीवन बीमा पूँजी-निर्माण (Capital Formation) करता है और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए पूँजी सुलभ करता है। विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं में, जहाँ पूँजी सामान्यतया दुर्लभ होती है, जीवन बीमा की संस्थाएँ अपनी विनियोजन-क्षमता तथा पूँजी-निर्माण शक्ति के फलस्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं।

(घ) अन्य लाभ

जीवन बीमा के उपर्युक्त कार्यों और लाभों के अतिरिक्त इससे अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(1) **कार्यक्षमता**—जीवन बीमा चिन्ता-मुक्त करके दक्षता बढ़ाता है। चिन्ता तो चिता होती है; यह मनुष्य को घुला देती है। जीवन बीमा कराने से निश्चिन्तता और मानसिक शान्ति मिलती है, आत्म-बल बढ़ता है जिससे मनुष्य अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करता हुआ अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकता है।

(2) **मितव्ययिता और बचत**—जीवन बीमा मितव्ययिता और बचत को बढ़ावा देता है। बीमादार जानता है कि उसे नियमित रूप से प्रीमियम अदा करते रहना है। इसके लिए उसे बचत करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रीमियम वस्तुतः अनिवार्य व्यय की भाँति हो जाता है। इसीलिए जीवन को 'अनिवार्य-बचत' (Compulsory Saving) का साधन माना जाता है। वैसे तो बैंक आदि में जमा करके भी बचत की जा सकती है। किन्तु मृत्यु का जोखिम रहने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में कब कितनी रकम इकट्ठी हो पायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी बचत तो जब-तब खर्च भी हो सकती है क्योंकि बचाना मुश्किल है और खर्च कर देना आसान है। जीवन बीमा किफायतदारी सिखाता है, बचत सँजोता है और फिजूलखर्ची से बचाता है।

(3) **सामाजिक लाभ**—जीवन बीमा एक उत्कृष्ट कोटि की सामाजिक सेवा भी है। यह परिवारों को विघटित होने से बचाता है, आश्रितों को अपने सहारे खड़े होने की शक्ति प्रदान करता है और समाज में दीन, हीन, असहाय और उपेक्षित व्यक्तियों की बाढ़ को रोक देता है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा व्यक्तियों में उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और आश्रितों के भविष्य को सुरक्षित

रखने का भाव जागृत करता है, जो समाज के दृष्टिकोण से बड़ा मूल्यवान गुण माना जाना चाहिए।

जीवन बीमा संविदा के आवश्यक नियम

परिभाषा—जीवन बीमा वह संविदा है जिसमें एक पक्षकार (बीमादाता) दूसरे पक्षकार (बीमादार) को एक निश्चित प्रतिफल (प्रीमियम) के बदले में बीमादार की मृत्यु होने या निश्चित अवधि बीतने पर बीमादार अथवा उसके द्वारा निश्चित व्यक्ति को बीमित राशि देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।

संविदा के वैधानिक नियम—विधानतः मान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त संविदा के आवश्यक नियमों का पूर्णतया पालन किया जाय। साधारण संविदा की भाँति जीवन बीमा की संविदा में भी निम्नलिखित नियमों का पालन होना चाहिए :

(1) प्रस्ताव उचित रूप से होना चाहिए। इसके लिए बीमा कराने के इच्छुक व्यक्ति को बीमादाता द्वारा निर्धारित प्रस्ताव-पत्र को भरकर अपना प्रस्ताव देना होता है।

(2) प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त-रहित होनी चाहिए। बीमादाता इसके लिए एक निर्धारित स्वीकृति-पत्र द्वारा अपनी स्वीकृति सूचित करता है। इस स्वीकृति-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि बीमा कब से प्रारम्भ होगा।

(3) सभी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति (Free Consent) होनी चाहिए।

(4) दोनों पक्षकारों में संविदा करने की वैध सक्षमता होनी चाहिए।

(5) संविदा का प्रयोजन (Object) और प्रतिफल (Consideration) विधिपूर्ण होना चाहिए।

साधारण संविदा के उक्त नियमों के साथ ही जीवन बीमा संविदा में इन विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक है : (1) बीमायोग्य हित सम्बन्धी नियम, तथा (2) परम सद्विश्वास सम्बन्धी नियम। इन नियमों का हम यहाँ पर जीवन बीमा के सन्दर्भ में अध्ययन करेंगे।

(1) बीमायोग्य हित सम्बन्धी नियम

इसी नियम के अनुसार ही यह निश्चित होता है कि कोई व्यक्ति किसका जीवन बीमा करा सकता है। नियम यह है कि जिस जीवन का बीमा कराया जाता हो उसमें बीमा कराते समय बीमादार का बीमायोग्य हित मौजूद रहना चाहिए। 'जीवन में बीमायोग्य हित' का अर्थ है उस जीवन के कायम रहने से हित होना और उसके समाप्त होने से अहित या आर्थिक हानि होना।

जीवन बीमा के सन्दर्भ में बीमायोग्य हित के नियम निम्नलिखित हैं :

(1) **अपना जीवन**—प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं अपने जीवन में असीमित

बीमायोग्य हित है; वह अपने जीवन का सामर्थ्यानुसार किसी भी रकम का बीमा करा सकता है। इसमें बीमायोग्य हित मौजूद रहने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

(2) **पति/पत्नी का जीवन**—जीवन बीमा के निमित्त पति-पत्नी के सम्बन्ध में यह नियम है कि पति का अपनी पत्नी के जीवन में, और पत्नी का अपने पति के जीवन में असीमित बीमायोग्य हित रहता है। अतः इसमें पति या पत्नी को बीमा-योग्य हित का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता क्योंकि इन दोनों दशाओं में यह मान लिया जाता है कि एक व्यक्ति का दूसरे के जीवन में बीमायोग्य हित मौजूद है।

(3) **अन्य व्यक्तियों का जीवन**—किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का बीमा वही करा सकता है जो सिद्ध कर सके कि उस जीवन में उसका बीमायोग्य हित है, अर्थात् उसकी मृत्यु के कारण उसे आर्थिक हानि होगी यहाँ पर बीमायोग्य हित वस्तुतः आर्थिक हित ही है। यदि आर्थिक हित नहीं है तब केवल रक्त-सम्बन्ध, प्रेम, स्नेह, भावुकता, आदि के कारण बीमायोग्य हित नहीं हो सकता। बीमायोग्य हित दूसरों के जीवन में आर्थिक हित रहने पर ही माना जा सकता है और ऐसा बीमायोग्य हित निश्चित, न्यायोचित तथा मूल्यांकन-योग्य होना चाहिए। इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन का बीमा उसी रकम तक के लिए करा सकता है जिस सीमा तक उसका बीमा कराते समय आर्थिक हित हो? दूसरे शब्दों में, दूसरे के जीवन का बीमा कराते समय बीमित राशि आर्थिक ही हित तक सीमित रहनी चाहिए।

अन्य व्यक्तियों के जीवन में बीमायोग्य हित, (क) व्यावसायिक सम्बन्ध अथवा (ख) पारिवारिक सम्बन्ध के फलस्वरूप हो सकता है। किन्तु इन सम्बन्धों में आर्थिक हित मौजूद रहना आवश्यक है। इसे स्पष्टतः समझ लेना चाहिए।

(क) **व्यावसायिक सम्बन्ध**—व्यावसायिक सम्बन्ध की दृष्टि से निम्नांकित व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों के जीवन में बीमायोग्य हित मौजूद रह सकता है :

(1) किसी महाजन का अपने कर्जदार के जीवन में बीमायोग्य हित है और वह प्रीमियम और ब्याज-सहित ऋण की रकम के लिए बीमा करा सकता है। यदि महाजन के अनेक संयुक्त कर्जदार हों तो वह उनमें किसी के जीवन का सम्पूर्ण ऋण के लिए बीमा करा सकता है।

(2) एक साझेदार का अपने अन्य साझेदार अथवा साझेदारों का जीवन बीमा कराने में उनके द्वारा दी गयी पूंजी तक के लिए बीमायोग्य हित रहता है।

(3) एक कर्मचारी का अपने नियोजक (Employer) के जीवन में बीमा-योग्य हित है यदि उसकी नियुक्ति निश्चित वेतन पर काण्ट्रैक्ट द्वारा निश्चित अवधि के लिए की गयी हो।

(4) नियोजक का अपने महत्वपूर्ण कर्मचारी (Key Employee

yee) के जीवन में उसकी मृत्यु से सम्भाव्य हानि की सीमा तक बीमायोग्य हित रहता है। जैसे, यदि थियेटर के किसी मैनेजर ने किसी अच्छे अभिनेता को अपने यहाँ कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो तो वह उसके जीवन में बीमायोग्य हित रखता है।

(5) किसी जमानत करने वाले का जमानत किये गये व्यक्ति के जीवन में बीमायोग्य हित है। इसी प्रकार वह सह-जमानदार के जीवन का भी बीमा करा सकता है। इसमें बीमा की रकम वहीं तक हो सकती है जितने की जमानत की गयी है।

(6) न्यासी (Trustee) का ऐसे व्यक्ति के जीवन में बीमायोग्य हित है जिसने उसके टेस्टेटर की वार्षिकी (Annuity) दिया हो।

(7) एक बीमा कम्पनी स्वयं संवृत्त किये हुए जोखिम का पुनर्बीमा कराने के लिए पर्याप्त बीमायोग्य हित रखती है।

(ख) पारिवारिक सम्बन्ध—पारिवारिक सम्बन्ध के आधार पर भी बीमायोग्य हित मौजूद रह सकता है परन्तु इसके लिए बीमा करने वाले को यह प्रमाणित करना होगा कि जिस सम्बन्धी का बीमा कराया जा रहा है उसके जीवन में उसका आर्थिक हित है और उस आर्थिक हित की सीमा तक का ही बीमा कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों से यह निश्चित हो गया है कि केवल रक्त का सम्बन्ध अथवा प्रेम या स्नेह होने से ही बीमायोग्य हित का मौजूद रहना नहीं मान लिया जाता। साधारणतः सम्बन्धियों का जीवन बीमा कराते समय यदि यह प्रमाणित किया जा सके कि बीमा कराने वाले का उस व्यक्ति से ऐसा सम्बन्ध है कि वह उस पर आश्रित है और अपने भरण-पोषण के लिए उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही से उसे बाध्य कर सकता है तब बीमायोग्य हित के मौजूद रहने की बात मानी जा सकती है। इस आधार पर पिता अपने पुत्र के जीवन का बीमा करा सकता है यदि वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पुत्र पर आश्रित हो अथवा, यदि पिता ने पुत्र की शिक्षा आदि के लिए किसी संस्था से ऋण लिया हो तो इस ऋण की रकम तक उसके पुत्र के जीवन में बीमायोग्य हित माना जायेगा। इसी प्रकार, यदि पुत्र अपने पिता द्वारा पोषित होता हो तब वह अपने पिता के जीवन का बीमा करा सकता है। इसी तरह, बहन जो अपने भाई पर आश्रित है, उसके जीवन का बीमा करा सकती है। लेकिन यदि उक्त प्रकार की आर्थिक आश्रितता न हो तब बीमायोग्य हित नहीं माना जायेगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि निम्नलिखित व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक हित की सीमा तक बीमायोग्य हित हो सकता है :

(1) महाजन का ऋणी के जीवन में ऋण, ब्याज तथा प्रीमियम की रकम तक;

(2) साझेदार का अन्य साझेदारों के जीवन में—उनकी पूँजी तक;

(3) कर्मचारी का नियोजक (Employer) के जीवन में—अपने वेतन तक;
(4) नियोजक का अपने महत्वपूर्ण कर्मचारी (Key Employee) के जीवन में—सम्भावित आर्थिक हानि तक;
(5) जमानतदार का सह-जमानतदारों के जीवन में—जमानत की रकम तक;
(6) पारिवारिक सम्बन्धियों (पिता-सन्तान, माता-सन्तान, भाई-बहन) में, आश्रित सम्बन्धी का भरण-पोषण करने वाले सम्बन्धी के जीवन में—आर्थिक लाभ तक।

उपर्युक्त सूची केवल उदाहरण के लिए है। इसी भाँति, अन्य प्रकार के आर्थिक सम्बन्धों के कारण कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जीवन बीमा करा सकता है यदि वह उस जीवन में अपना बीमायोग्य हित सिद्ध कर सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बीमायोग्य हित बीमा कराते समय ही मौजूद रहना चाहिए, तत्पश्चात् इसका मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी भावी पत्नी का, कोई ऋणदाता अपने भावी ऋणी का, कोई नियोजक अपने भावी कर्मचारी का जीवन बीमा नहीं करा सकता क्योंकि बीमा कराते समय उसका बीमायोग्य हित नहीं हो सकता।

(2) परम सद्विश्वास सम्बन्धी नियम

हम बता चुके हैं कि बीमा परम सद्विश्वास (Utmost Good Faith) पर आधारित संविदा है। अतः जीवन बीमा में प्रस्तावित जीवन के सम्बन्ध में बीमादाता के समक्ष उन समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो जोखिम को प्रभावित करती हों, पूर्णरूपेण प्रकट कर देना प्रस्तावक का कर्तव्य है। जीवन बीमा के लिए प्रस्तावक को बीमादाता द्वारा निर्धारित छपे हुए प्रस्ताव-पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों में बीमादार के बारे में बहुतेरी सूचनाएँ माँगी जाती हैं जैसे उसकी जन्म-तिथि, उसके स्वास्थ्य की दशा, उसका पेशा, उसकी आदतें, उसके परिवार से सम्बन्धित विवरण, आदि। इस प्रस्ताव-पत्र को बड़ी सावधानी से भरना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट, पूर्ण, सत्य और ईमानदारी के साथ देना चाहिए। प्रस्ताव-पत्र के अन्त में प्रस्तावक को इस आशय की घोषणा देनी पड़ती है कि उसने सब विवरण सत्य दिये हैं और कहीं मिथ्या-कथन या मिथ्या-प्रदर्शन नहीं किया है, तथा यदि कोई कथन असत्य सिद्ध हो जाय तब संविदा शून्य हो जायेगी। इस घोषणा का महत्व भली-भाँति समझ लेना चाहिए क्योंकि गोपन, अप्रकटन या मिथ्याप्रदर्शन के कारण परम सद्विश्वास का नियम भंग हो जाता है और संविदा शून्य हो सकती है।

परम सद्विश्वास का नियम बीमादाता और उसके एजेण्ट पर भी लागू रहता है। बीमा एजेण्ट का भी यह कर्तव्य है कि वह बीमापत्र के सम्बन्ध में प्रस्तावक को सही-सही बातें बताये, सत्य और वास्तविकता को छिपाकर उसे बीमा कराने को कदापि प्रेरित न करे, अन्यथा वह संविदा को शून्य घोषित कर सकता है।